Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सवाईमाधोपुर में ग्राम विकास अधिकारी 4 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *11 मई, बुधवार*/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सवाईमाधोपुर इकाई द्वारा आज गंगापुरसिटी में कार्यवाही करते हुये बनवारीलाल गुप्ता प्रशासक कम ग्राम विकास अधिकारी, ग्रा.पं. महानन्दपुर डोड्या, पं.स. गंगापुरसिटी, जिला सवाईमाधोपुर को परिवादी से **4 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की सवाईमाधोपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि कैटलशेड योजना के अन्तर्गत खाते में कार्य पूर्ण होने के पश्चात भुगतान स्वीकृत करवाने की एवज में बनवारीलाल गुप्ता प्रशासक कम ग्राम विकास अधिकारी, ग्रा.पं. महानन्दपुर डोड्या, पं.स. गंगापुरसिटी, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा **10 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की सवाईमाधोपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये बनवारीलाल गुप्ता पुत्र श्री हजारीलाल गुप्ता निवासी श्रीराम विद्यालय के पास, सूरसागर, गंगापुरसिटी, जिला सवाईमाधोपुर हाल प्रशासक कम ग्राम विकास अधिकारी, ग्रा.पं. महानन्दपुर डोड्या, पं.स. गंगापुरसिटी, जिला सवाईमाधोपुर को परिवादी से **4 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।